निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 ज्येष्ठ 1938 (श0)

(सं0 पटना 424) पटना, सोमवार, 30 मई 2016

सं० 08/आरोप–01–10/2016–4931 सा.प्र.
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
5 अप्रील 2016

श्री राजदेव शर्मा, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–450/99, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा के अस्थायी प्रभार में रहते हुए पशुपालन घोटाले से संबंधित प्रस्तुत अनियमित विपत्र को पारित करने के आरोप के लिए सी०बी०आई० द्वारा कांड सं० आर०सी०–34(ए)/96 दर्ज किया गया। सी०बी०आई० द्वारा श्री शर्मा को उक्त आरोप के लिए दिनांक 02.09.1998 को न्यायिक हिरासत में लिया गया, जहाँ वे दिनांक 10.04.1999 तक न्यायिक हिरासत में रहे।

2. श्री शर्मा के विरूद्ध उक्त कांड दर्ज होने एवं वित्तीय नियमावली के उल्लंघन के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7025, दिनांक 03.09.2002 द्वारा निलंबित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सं०–58/2005 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2005 को पारित आदेश के आलोक में श्री शर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की प्रकृति, इनके निलंबन अवधि 3 वर्षो से अधिक ब्यतीत होने, विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं होने तथा उनके विरूद्ध लंबित आपराधिक मामले में निर्णय होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–8969, दिनांक 01.10.2005 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

3. सी०बी०आई० कार्यालय के पत्रांक–591, दिनांक 05.02.2015 द्वारा यह सूचना दी गयी कि श्री शर्मा के विरूद्ध दर्ज सी०बी०आई० कांड सं० 34 (ए)/96 में माननीय सी०बी०आई० न्यायालय द्वारा श्री शर्मा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 की धारा–13 (2) सह पठित धारा–13 (1) (d) (2) के तहत तीन वर्षो का कठोर कारावास तथा 2,75,000.00 (दो लाख पचहत्तर हजार रूपये) का अर्थ दंड एवं भारतीय दंड संहित की धारा–420 के तहत तीन वर्षो का कठोर कारावास तथा 10,000.00 (दस हजार रूपये) का अर्थ दंड की सजा दी गयी है।

4. न्यायालय द्वारा श्री शर्मा को दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किये जाने की सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप श्री शर्मा को समुचित दंड दिये जाने एवं हिरासत अवधि तथा निलंबन अवधि के विनियमन के विषय पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में न्यायिक कार्यवाही में दोषसिद्ध पाये जाने के

फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के सुसंगत प्रावधान के तहत पेंशन/उपदान अवरूद्ध करने एवं निलंबन के बिन्दु पर श्री शर्मा से कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री शर्मा द्वारा समर्पित कारण पृच्छा उत्तर के सम्यक् समीक्षोपरांत सी०बी०आई० न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश, विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (ए) के संगत प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–113, दिनांक 05.01.2016 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(i) श्री शर्मा के पेंशन से 25 प्रतिशत पेंशन की कटौती,

(ii) दिनांक 02.09.1998 से दिनांक 10.04.1999 तक के न्यायिक हिरासत की कुल अवधि के लिए उन्हें निलंबित मानते हुए उक्त अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी।

(iii) दिनांक 03.09.2002 से दिनांक 30.09.2005 तक के निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी।

6. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री शर्मा ने अपने पत्रांक–02, दिनांक 11.01.2016 द्वारा आवेदन समर्पित किया जिसमें मूल रूप में उनके द्वारा अंकित किया गया कि उन्हें 90 प्रतिशत पेंशन का भुगतान किया जा रहा था परन्तु 08 वर्षो के बाद कटौती को बढाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने यह भी अंकित किया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (ए) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि गंभीर अपराध/दुरूचार के मामले पर ही कटौती की जा सकती है। कोषागार पदाधिकारी के रूप में पारित किया गया विपत्र का कार्य गंभीर अपराध के श्रेणी में नहीं आता। पेंशन का कटौती निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. श्री शर्मा के प्राप्त आवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री शर्मा को जो 90 प्रतिशत पेंशन का भुगतान हो रहा था, वह औपबंधिक पेंशन देने का निर्णय था, चूँकि उनके विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही चल रही थी। माननीय सी०बी०आई० न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित पाते हुए उन्हें कठोर सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड की सजा दी गयी। तद्आलोक में विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के उपरांत कारण पृच्छा प्राप्त कर उक्त दंडादेश संसूचित किया गया।

8. श्री शर्मा का आवेदन दिनांक 11.01.2016 त्तर्कसंगत नहीं होने के कारण सम्यक् समीक्षोपरांत उसे अस्वीकृत करने एवं विभागीय संकल्प सह पाठित ज्ञापांक–113, दिनांक 05.01.2016 द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखने का निर्णय लिया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 424-571+10-**डी०टी०पी०।**
Website: http://egazette.bih.nic.in